FORM No. III

APP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालज : **उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा** मुकाम : **बांसवाड़ा (राज.)**

प्रार्थी श्री ऊंकार बनाम अप्रार्थी कान्तिलाल

किस्म मुकदमा–(प्रार्थना पत्र) 212 प्रकरण संख्या– 14 / 20 18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रार्थी श्री ऊंकार पिता माथा जाति अंकोरा निवासी ओडीमाला ईमीरपुरा ते. गांगड़तलाई द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 विरूद्ध अप्रार्थीगण श्री कान्तिलाल पिता कानजी जाति भील निवासी चोकीनोका पारा ते. आनन्दपुरी के पेश किया गया। अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 19.7.18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा	
19.7.18	पत्रावली पेश हुई। [illegible] P.O. [illegible] अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 21.8.18 को पेश हो [illegible]	
21-8-18	पत्रावली पेश हुई। बवजह [illegible] उपस्थित पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 26-9-18 को पेश हो।	
26-9-2018	पत्रावली पेश हुई। बवजह [illegible] पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक [illegible] को पेश हो।	
28-11-2018	पत्रावली पेश हुई। बवजह उपस्थित [illegible] P. [illegible] अन्य राजकार्य में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 18-12-2018 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:33:55 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... अहकाम जो... हुक्म की ता... में जारी...
01/8/22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उप. प्रार्थी। पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार होकर से क्रम की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। [signature] उपखण्ड अधिकारी ...वाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:33:55 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास प्रकाश चन्द्र रेगर (RAS) उपखण्ड अधिकारी - बांसवाड़ा

प्रकरण सं० – 24/2018 दायर तारीख → 26.6.18

÷ उनवान :–

ऊकार पिता श्री नाथा जाति बंजारा नि. बोडीगामा व अन्य (प्रार्थीगण)

बनाम

कान्तिलाल पिता श्री कान जी भील नि. चौबीसों का पाड़ा व अन्य (अप्रार्थीगण)

उपस्थित :–

श्री जयन्त कुमार पुरोहित – अधिवक्ता - प्रार्थीगण
" राजेन्द्र पाटीदार – अधिवक्ता - अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा - 212 RTA - 1955

–: निर्णय :– दिनांक –

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत धारा-88, 188 संस्थित कर रखा है। ग्राम चौबिसों का पाड़ा में खाता सं. 1 के ख.नं. 209/35 खेत नाम हेरवाली बटकी रकबा 2-14 बीघा, ख. नं. - 210/20 खेत नाम घरवाली बटकी रकबा 2-05 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 04-19 बीघा प्रार्थीगण के पूर्वज नाथा पिता खेता की खातेदारी आधिपत्य की है। उक्त भूमि पर वर्तमान में नाथा के वारिसान प्रार्थीगण काश्त कर रहे है। इसी प्रकार नाथा के लाला भवाना पिता मना बंजारा की उक्त ग्राम में कृषि भूमि खाता सं. 2 ख. नं. रकबा 05-05 बीघा तथा ख. नं. 22 रकबा 06-02 बीघा कु

उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:33:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राज.)

cont...

किता 2 कुल रकबा 11 बीघा 07 बिस्वा पर नवाना की मृत्यु लाऔलाद ~~मौत~~ होने पर प्रार्थीगण काश्त कर रहे है।

वादग्रस्त आराजी ख. नं. 209/35, 210/20 का नामान्तरण रावजी पिता मकन भील द्वारा अवैध रूप से करवा लिया गया, इसी प्रकार ख. नं. 6 व 22 का अवैध रूप से नामान्तरण वेलजी पिता जीवा भील ने अपने नाम करवा लिया। वर्तमान में रावजी व वेलजी के फौत होने पर अप्रार्थी सं. 1 लगा. 12 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम अंकित करवा दिया गया जब कि अवैध इन्द्राज से उनको कोई हक-हकूक प्राप्त नहीं होते है।

अप्रार्थी सं. 9 लगा. 12 ने ख. नं. 209/35, 210/20 में 05.6.18 को अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर कब्जा करने की नियत से नींव खुदाई हेतु उतारू हुये। वर्तमान में चौमासे की फसल की कुवाई के समय अप्रार्थी सं. 1 लगा. 12 ने वादग्रस्त भूमि अतिक्रमण व कब्जा करने की नियत से प्रवेश बेचान इत्यादि की धमकिया दी।

प्रकरण प्रथम दृष्टया, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर अप्रार्थीगण 1 लगा. 12 को वादग्रस्त आराजियात उक्त वर्णित पर अस्थाई निषेधाज्ञा दौराने वाद पाबंद किया जावे कि वादग्रस्त आराजियात पर अतिक्रमण, अवैध निर्माण अन्तरण इत्यादि न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर अधिवक्ता [illegible] पाटीदार ने अपूर्ण जवाब 12-10-20 को पेश किया जो वाद का है व कि प्रार्थना-पत्र का फिर न्यायालय द्वारा 28.4.22 तक पर्याप्त समय प्रदान किया गया पेश

उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राज.)
Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:33:55 IST
Reason: SelfAttested
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

न करने पर बाद आदेशिका अवलोकन जवाब पेश किया
जाकर बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र की बिन्दु सं. 2, 3 को दोहराते हुये कथन किया कि वाद ग्रस्त आराजियात हमारी पुश्तैनी होकर हम काबिज काश्त है। गैर कानूनन नामान्तरण से जमीन अप्रार्थीगण के नाम अंकित हो गयी। खातेदारी हेतु वाद न्यायालय हाजा में जैर कार है।

अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर विरुद्ध अप्रार्थी सं. 1 लगा 12 अस्थायी निषेधाज्ञा ता फैसला मुलवाद फरमायी जावें।
विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने प्रार्थी अधिवक्ता के तर्कों का कोई खण्डन नहीं किया और कोई तर्क / कथन अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रस्तुत नहीं किया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर गहन अध्ययन किया तथा बहस विद्वान अधिवक्ता पर मनन किया। सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट मौजा चौबिसों का पाड़ा परगना बड़ोदिया त० सदर रियासत बाँसवाड़ा सन 1939-40 में खाता सं. 1 व 2 क्रमशः माधा वल्द खेता व भवाना वल्द मन्ना कौम बंजारा अंकित है। जमाबंदी ग्राम चौबिसों का पालड़ा प. गामड़ी संवत 2049-52 में अंकित खातेदार वेलजी पिता ओटजी भील ख० नं० 6, 7, 22, 25 के से संबंधित आराजी किस प्रकार नाम दर्ज रिकॉर्ड हुयी है। इसी प्रकार जमाबंदी 2049-52 ग्राम चौबिसों का पाडला में अंकित आराजी रावजी पिता मकना भील के नाम कैसे आयी। नक्शा ग्राम चौबिसों का पाड़ला में ख. नं. (आराजी नं.) 274/113 तादादी 5 बीघा का उल्लेख नाथजी व बाबु पि० गौतम का है।

उक्तानुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की तारतम्यता दृष्टिगोचर नहीं होती है। स्वत्व-

उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राज.)
Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:33:55 IST
Reason: SelfAttested
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

वेज अस्पष्ट होने से प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं होने से सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रमाणित नहीं है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है।

निष्कर्षतः उक्तानुसार एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर मूलवाद के साथ नत्थी हो।

निर्णय लिखा जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:33:55 IST
Reason: SelfAttested